फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

कालूसिंह बनाम अन्तरकंवर वगैरह

राजस्व अपील संख्या ..27........सन..2023.

किस्म अपील .225 आर.टी.एक्ट...

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की
13.04.2023	न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली मे पीठासीन अधिकारी पाली मे पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने के फलस्वरूप उक्त अपील आज दिनांक को प्रथम लिंक अधिकारी न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के समक्ष पेश हुई। उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सहायक कलक्टर जालोर द्वारा दिवानी प्रार्थना पत्र संख्या 24/2023 बउनवान कालुसिंह बनाम अन्तरकंवर वगैरा मे पारित आदेश दिनांक 12.04.2023 के विरूद्ध पेश हुई। बाद जांच अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट अधिवक्ता ने प्रकरण मे स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस हेतु निवेदन किया, जिस पर अपीलांट अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अपीलांट अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट ने एक अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तगत प्रकरण मे वर्णित वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा नारणावास पटवार हल्का नारणावास भू.अभि.नि.क्षेत्र बागरा के खसरा नंबर 1114 रकबा 1.0400 हैक्टेर खसरा नंबर 1115 रकबा 1.2300 हैक्टेर, खसरा नंबर 1116 रकबा 1.1000 हैक्टेर कुल रकबा 3.3700 हैक्टेर के संबध मे प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस जारी किये जाने का आदेश पारित कर आगामी पेशी दिनांक 08.05.2023 नियत की गई। वादग्रस्त आराजी के संबध मे बंटवाडे का मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। वादग्रस्त आराजी के संबध मे अगर हाजा न्यायालय से स्थगन आदेश जारी नहीं किया जाता है तो रेस्पोडेन्टगण वादग्रस्त आराजी को खुर्दबुर्द कर देगे। अत वादग्रस्त आराजी पर मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे। अपीलांट अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध	

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिकाओ के अवलोकन से यह विदित होता है कि अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबध मे अस्थाई निषेधाज्ञा का जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आगामी पेशी नियत की गई है। उक्त आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त आदेश संपूर्ण आदेश नहीं है। ऐसे आदेश के विरूद्ध अपील पोषणीय नहीं है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आगामी पेशी को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना चाहिये। किन्तु अपीलांट द्वारा अपूर्ण आदेश के विरूद्ध उक्त अपील प्रस्तुत की गई है। जो चलने योग्य नहीं है।

किन्तु अपीलांट द्वारा उक्त पत्रावली के साथ वादग्रस्त आराजी के संबध मे जमाबंदी संवत 2070—2073 जमाबंदी 2076 (वर्ष2020) से स्थाई प्रस्तुत की गई है। उक्त जमाबंदी से यह प्रकट होता है कि वादग्रस्त आराजी अपीलांट एंव रेस्पोडेन्टगण की सामलाती आराजी है। वादग्रस्त आराजी के संबध मे मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उक्त वाद के विचाराधीन रहते हुए वादग्रस्त आराजी के किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो इससे निश्चय ही वाद बाहुल्यता बढेगी। अत न्यायहित मे यह आदेश दिया जाता है कि सहायक कलक्टर जालोर द्वारा दिवानी प्रार्थना पत्र संख्या 24/2023 बउनवान कालुसिंह बनाम अन्तरकंवर वगैरा मे उभयपक्षो को सुनवाई का अवसर देकर 06 माह मे विधिसम्मत आदेश पारित करे। तब तक उभयपक्ष हस्तगत प्रकरण मे वर्णित वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा नारणावास पटवार हल्का नारणावास भू.अभि.नि.क्षेत्र बागरा के खसरा नंबर 1114 रकबा 1.0400 हैक्टेर खसरा नंबर 1115 रकबा 1.2300 हैक्टेर, खसरा नंबर 1116 रकबा 1.1000 हैक्टेर कुल रकबा 3.3700 हैक्टेर पर मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली